उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग–एक)

संख्या 1515-सी/उ0नि0(एक)–02/2021–22

दिनांकः देहरादूनः जून, 28 ,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 12/XXXVI(3)/018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 के आलोक में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 334–सी/उ0नि0(एक)–02/2022–23, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा जनपदों को सुगम एवं दुर्गम हेतु चिन्हित किया गया था। विभाग में शासन स्तर पर अधिकारियों हेतु पूर्व से चिन्हित जनपदों की सुगम–दुर्गम की व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया गया है। इस प्रकार एक ही विभाग में दो प्रकार की व्यवस्था लागू किया जाना समीचीन नही है।

2– अतः एतद्द्वारा उक्त वर्णित कार्यालय आदेश को निरस्त करते हुए, पूर्व की व्यवस्था लागू की जाती है। तदनुसार जनपद अल्मोड़ा एवं जनपद (नरेन्द्रनगर) टिहरी सुगम क्षेत्र के जनपदों में वर्गीकृत माने जायेगे।

3– उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निंम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, देहरादून।

(अनुपम द्विवेदी)
उप निदेशक उद्योग।